



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
अधिनियम, 2003 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित
राजकोषीय नीति का विवरण

निर्मला सीतारामन
वित्त मंत्री

फरवरी, 2021

वित्त मंत्रालय
बजट प्रभाग

विषय सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	(i)
1	समग्र आर्थिक कार्य संरचना विवरण	1
2	राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की प्रतिशतता के रूप में चल लक्ष्य	7

प्राक्कथन

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 घाटा कम करने हेतु विधायी कार्ययोजना की व्यवस्था करने और उसके द्वारा सरकार का ऋण मध्यावधि में धारणीय स्तरों पर लाने के दृष्टिकोण से अधिनियमित किया गया था ताकि राजकोषीय प्रबंध और दीर्घावधिक वृहत्-आर्थिक स्थिरता में अंतर-सृजनात्मक इक्विटी सुनिश्चित की जा सके। राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत बनाई गई राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 दिनांक 5 जुलाई, 2004 से लागू कर दी गई है।

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन ढांचा का लक्ष्य 31 मार्च, 2025 तक सामान्य सरकार के ऋण को जीडीपी के 60 प्रतिशत और केन्द्रीय सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 प्रतिशत तक सीमित करना है। इस प्रयोजन से सामान्य सरकार के ऋण को केन्द्रीय सरकार के ऋण और राज्य सरकार के ऋण की कुल राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। राजकोषीय घाटे को राजकोषीय समेकन हेतु एकमात्र कार्यात्मक लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया है।

वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी 7.7 प्रतिशत तक संकुचित हुई थी। जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में वृद्धि 4.2 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2020-21 में ऋणात्मक वृद्धि होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में पुनः सुधार होने की आशा है।

सरकार ने राजकोषीय घाटा सं.अ. 2020-21 में जीडीपी के 9.5 प्रतिशत और 2019-20 में 6.8 प्रतिशत के स्तरों तक सीमित कर दिया है जिसमें उच्च पूंजीगत व्यय की सहायता मिली। जिससे ब.अ. 2020-21 की तुलना में ब.अ. 2021-22 में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। आशा है कि सरकार, मध्यावधि में राजकोषीय समेकन के उन्नत पथ पर वापसी करेगी।

इस प्रलेख में वृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण के साथ राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण शामिल है। ये विवरण अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं का आकलन देते हैं, कराधान, व्यय, बाजार उधारों और अन्य देयताओं, आदि से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अंतर्निहित पूर्वानुमानों और कार्यनीतियों के साथ-साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों हेतु तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अतः नीतिगत विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाते हैं। अंतर के कारण स्पष्ट करने वाले और निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की ओर वापसी के मार्ग संबंधी विवरण, वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा यथासंशोधित, अधिनियम की धारा 4(5) के उपबंधों के अनुसार, को भी मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीतिगत कार्ययोजना में शामिल किया गया है। अतः ये नीतिगत विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

समग्र आर्थिक कार्य संरचना विवरण 2021-22

अर्थव्यवस्था का अवलोकन

देश भर में अत्यंत संक्रामक कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैल जाने से वर्ष 2020-21 में अप्रत्याशित रूप से स्वास्थ्य सम्बन्धी संकट पैदा हो गया जिसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस महामारी का सामना करने के लिए सरकार ने बहुत ही सक्रियता से कई निवारक और शमनकारी कदम उठाये हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर लगातार प्रतिबंध लगाने से लेकर हर नागरिक के लिए हिदायतें जारी करने, क्वारन्टाइन सुविधाओं को उपलब्ध कराने, इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति का पता लगाने आपस में सामाजिक दूरी बनाये रखने जैसे उपाय किये गए हैं। सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 25 मार्च, 2020 से 21 दिन का एक राष्ट्रव्यापी और सख्त लाकडाउन की घोषणा कर दी थी जिसे बाद में बढ़ाया भी जाता रहा और थोड़ी थोड़ी ढील भी दी जाती रही। ऐसा करने का उद्देश्य कोविड 19 को फैलने से रोकना था। इसके साथ ही साथ देश की स्वास्थ्यपरक बुनियादी सुविधाओं को भी इसके लिए तैयार किया जाता रहा। भारत में कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए लाक डाउन का जो उपाय किया गया इससे हर जगह रोजगार, कारोबार, व्यापार, उत्पादन और सेवा सम्बन्धी क्रियाकलापों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। 2020-21 में वास्तविक घरेलू उत्पाद का 7.7 प्रतिशत तक सिकुड़ जाने का अनुमान है जबकि 2019-20 में इसकी वृद्धि 4.2 प्रतिशत ही थी। फिर भी, 2021-22 में इस सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में फिर से सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि सरकार द्वारा सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

भारत में कोविड - 19 महामारी से निपटने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रूपए के एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की है जो कि भारत की जीडीपी के 10 प्रतिशत के समतुल्य है। इस पैकेज के एक हिस्से के रूप में कई संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की गयी है जिनमें अन्य बातों के अलावा कृषि क्षेत्र को नियममुक्त करना, एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन करना, नई पीएसयू पालिसी की घोषणा, कोयला खानों का वाणिज्यिकरण करना, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाना, औद्योगिक भूमि/भू-बैंकों का विकास, औद्योगिक सूचना प्रणाली का विकास, उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना, सामाजिक अवसंरचनाओं की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को फिर से लागू करना, नई पावर टैरिफ नीति और राज्यों को सेक्टर रिफार्म के लिए प्रोत्साहन देने जैसी बातें शामिल हैं। इसके अलावा उपभोग को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाये गये हैं जिसमें लीव ट्रेवल कन्सेसन्स (एलटीसी) योजना के बदले नकद भुगतान, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 10,000 रूपए का एक बारगी त्यौहार अग्रिम (ब्याज मुक्त) जैसे कदम भी शामिल हैं। आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए राज्यों को ब्याज-मुक्त 50 वर्षीय ऋण देने, केन्द्र सरकार के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय बजट रखने, इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम (ईसीएलजीएस) 2.0 को शुरू करने, 10 प्रमुख क्षेत्रों (चैम्पियन सेक्टर्स) के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1.46 लाख करोड़ रूपये की व्यवस्था करने, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी के लिए 18,000 करोड़ रूपए के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था करना, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) डेट प्लेटफार्म में इक्विटी का समावेशन, डिमाण्ड बूस्टर फार रेजीडेन्सियल रीयल इस्टेट इन्कम टैक्स रिलीफ फार डेब्लपर्स एण्ड होम बायर्स, बूस्ट फार प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, कैपिटल एण्ड इन्डस्ट्रियल स्टिमुलस जैसे विभिन्न कदम उठाये गये हैं।

आर्थिक वृद्धि

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय आय के बारे में जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में वास्तविक जीडीपी के 7.7 प्रतिशत तक सिकुड़ जाने का अनुमान है जबकि 2019-20 में इसकी वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत थी। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में आये इस संकुचन का मुख्य कारण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में आये संकुचन को ठहराया जा सकता है। स्थिर आधार मूल्यों (2011-12) पर सकल वर्द्धित मूल्य वृद्धि में वर्ष 2020-21 में 7.2 प्रतिशत तक संकुचन होने का अनुमान है जबकि 2019-20 में

3.9 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गयी थी। कृषि और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों की वास्तविक जीवीए 2019-20 की पीई के 4.0 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में 3.4 प्रतिशत की जो सकारात्मक वृद्धि हुई है उससे यह जाहिर होता है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था दृढ़ता से खड़ी रही है। मांग पक्ष की ओर से देखें तो 2020-21 में निजी खपत व्यय सिकुड़ कर 9.5 प्रतिशत रह गया है जबकि 2019-20 में इसमें 5.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी थी और जहां तक सावधि निवेश की बात है तो इसमें 2020-21 में 14.5 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है जबकि 2019-20 में यह 2.8 प्रतिशत ही था। 2020-21 में सरकारी उपभोग अंतिम व्यय के 5.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है जबकि 2019-20 में यह वृद्धि 11.8 प्रतिशत की थी। 2020-21 में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात में क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 20.5 प्रतिशत का संकुचन (स्थिर कीमतों पर) आने का अनुमान है।

कीमतें

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) पर आधारित मुद्रा स्फीति 2014-15 के 5.9 प्रतिशत से नरम पड़कर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत और 2019-20 में 4.8 प्रतिशत तक रह गई है। 2020-21 (अप्रैल-दिसम्बर) में 6.6 प्रतिशत के औसत स्तर पर रही और दिसम्बर 2020 में 4.6 प्रतिशत पर टिकी रही। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति 2014-15 के 6.4 प्रतिशत से कम होकर 2018-19 में 0.1 प्रतिशत हो गई थी और 2019-20 में यह 6.7 प्रतिशत दर्ज की गयी थी। 2020-21 (अप्रैल-दिसम्बर) में यह 9.1 प्रतिशत के औसत स्तर पर रही और नवम्बर 2020 में यह 9.5 प्रतिशत पर टिकी रही। लेकिन यह तेजी से कम होकर दिसम्बर, 2020 में 3.4 प्रतिशत हो गयी थी। थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मापी जाने वाली मुद्रास्फीति 2018-19 के 4.3 प्रतिशत से कम होकर 2019-20 में 1.7 प्रतिशत हो गयी थी। 2020-21 (अप्रैल-दिसम्बर) में यह (-) 0.1 प्रतिशत के औसत स्तर पर रही और दिसम्बर 2020 में 1.2 प्रतिशत हो गयी थी।

सरकार कीमतों की स्थिति पर लगातार नजर रखती है और आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह समय समय पर अनेक आवश्यक उपाय भी करती रहती है। इन उपायों में शामिल है व्यापार और राजकोषीय नीतिगत साधनों जैसे कि आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात प्रतिबन्ध आदि का यथोचित उपयोग करके वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता को विनियमित करना और कीमतों को सामान्य स्तर पर बनाये रखना; स्टॉक लिमिट को अधिरोपित करना और जमाखोरों तथा कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने के लिये राज्यों को सलाह देते रहना; और न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक रखना जिससे कि किसानों को और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) का भी संचालन करती है ताकि कृषि-बागवानी जिसों जैसे कि दालों, प्याज और आलू की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि न होने पाये। सरकार ने इन जिन्सों की उपलब्धता को बनाये रखने के लिए भी कई प्रयास किये हैं और उनको आसान कीमतों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रही है। इन बातों में शामिल हैं (1) 14.9.2020 से प्याज के निर्यात पर रोक लगा देना, बाद में जिसे 1.01.2021 से वापस भी ले लिया गया था। (2) आवश्यक जिन्स अधिनियम, 2020 के अंतर्गत दिनांक 23.10.2020 से 31.12.2020 तक प्याज पर स्टॉक लिमिट लगा दी गयी है ताकि इसकी जमाखोरी को रोका जा सके। (3) आयात पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना, आयात के ले लाइसेन्स जारी करना और दालों के आयात शुल्क में कटौती करना। इन उपायों से प्याज, तूर दाल और मसूर दाल का देश में आयात अधिक हुआ है जिससे कीमतें आसान रही है।

कीमतों को लम्बे समय तक स्थिर बनाये रखने के लिए आत्म निर्भर पैकेज के अंतर्गत उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की गयी है जैसे कि आपरेशन ग्रीन्स प्रोजेक्ट (टमाटर, प्याज और आलू) के दायरे में सभी फलों और सब्जियों को लाया गया है जिससे कि किसानों को अच्छी कीमतें मिल सकें, इनकी खराबी कम हो सके और उपभोक्ताओं को ये जिन्सें आसान कीमतों पर मिल सकें; पीपीपी मोड के तहत इनके भण्डारण की सुविधायें उपलब्ध कराना ताकि इनके भण्डारण में विकिरण रहित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सके और किसानों की मदद की जा सके; आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है जिससे कि भण्डारण और वेयरहाउसिंग में निवेश को आकर्षित किया जा सके।

केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति

वर्ष 2020-21 का राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्रमशः जीडीपी का 3.5 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत रखा गया था। बजट अनुमान 2020-21 में जीडीपी में कर का अनुपात 10.8 प्रतिशत था जीडीपी में कुल खर्च का अनुपात 13.5 प्रतिशत था। सकल कर राजस्व में अनुमानित वृद्धि संशोधित अनुमान 2019-20 का 12 प्रतिशत था। 2019-20 के संशोधित अनुमान (सं.अ.) की अपेक्षा बजट अनुमान 2020-21 में कुल खर्च 12.7 प्रतिशत हुआ था। बहरहाल, कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी राजस्व पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है जबकि सरकारी खर्च को बढ़ाने के लिए इसके कारण जोर पड़ रहा है।

भारत के महालेखाकार के द्वारा केन्द्र सरकार की अप्रैल - नवम्बर 2020 तक की वित्तीय स्थिति के बारे में जारी किये गये आकड़ों के अनुसार इसी अवधि में बजट प्रावकलन के स्तर पर जो 42.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई थी उसमें 12.6 प्रतिशत की कमी आयी है। गैर कर राजस्व में भी अप्रैल-नवम्बर 2020 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के राजस्व से 46.6 प्रतिशत की कमी आयी है जो कि बजट अनुमान का 32.3 प्रतिशत होता है। नवम्बर 2020 के अंत में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां बजट अनुमान का 8.1 प्रतिशत रही हैं।

अप्रैल-नवम्बर 2020 के दौरान, राजकोषीय घाटा 2020-21 में बजट राशि का 135.1 प्रतिशत तक पहुंच गया जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के बजट अनुमान के 114.8 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। अप्रैल-नवम्बर 2020 का राजस्व घाटा बजट अनुमान का 139.9 प्रतिशत रहा है और यह पिछले वर्ष के 128.4 प्रतिशत से अधिक है। संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 का राजकोषीय और वित्तीय घाटा क्रमशः जीडीपी का 9.5 प्रतिशत और जीडीपी का 7.5 प्रतिशत रहा है।

मौद्रिक प्रबन्धन और वित्तीय मध्यस्थता

वर्ष 2020 में मौद्रिक नीति समायोजन परक बनी रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मार्च 2020 से अब तक पांच बैठके हो चुकी हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस एमपीसी ने 2020-21 की अपनी दो बैठकों को जल्दी यानि कि अप्रैल के पहले हफ्ते के बजाए मार्च के अंत में और जून के पहले हफ्ते के बजाय 20 मई से 22 मई तक आयोजित कर ली थी। रेपो रेट में मार्च 2020 से 115 बीपीएस की कटौती हुई है। जिसमें मार्च 2020 में एमपीसी की हुई पहली बैठक में 75 बीपीएस और मई 2020 में हुई इसकी दूसरी बैठक में 40 बीपीएस की कटौती की गयी थी। आगे की बैठकों में पालिसी रेट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन लिक्विडिटी सर्पोट में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी गयी थी।

2020-21 के दौरान मौद्रिक सकल जोड़ में पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा अच्छी वृद्धि हुई थी क्योंकि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी काफी अधिक थी। 2020-21 में अभी तक आरक्षित मुद्रा (एमओ) में वर्ष दर वर्ष (वाई ओ वाई) के आधार पर 1 जनवरी 2021 को 15.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी जबकि पिछले वर्ष यह 12.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2020-21 के दौरान, अभी तक, एमओ में विस्तार इसलिए हुआ था कि मुद्रा घटक पक्ष से परिचालन (सीआईसी) में आ गयी थी। 18 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार ब्रॉड मनी (एम3) में वृद्धि 12.4 प्रतिशत की रही थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 10.4 प्रतिशत थी। एम3 की वृद्धि में सकल जमा का सबसे अधिक योगदान रहा है।

बाह्य क्षेत्र

2020-21 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान मर्केन्डाइज एक्सपोर्ट 200.8 बिलियन अमरीकी डालर का रहा है जो कि पिछले वर्ष के इसी समय के 238.3 बिलियन अमरीकी डालर से 15.7 प्रतिशत नीचे रहा है। 2020-21 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान मर्केन्डाइज इम्पोर्ट 258.3 बिलियन अमरीकी डालर का रहा है जो कि पिछले वर्ष के इसी समय के 364.2 बिलियन अमरीकी डालर से 29.1 प्रतिशत कम रहा है। तेल का आयात भी 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) के 96.7 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2020-21 (अप्रैल-दिसम्बर) में गिरकर 53.7 बिलियन अमरीकी डालर तक आ गया। मर्केन्डाइज ट्रेड डेफिसिट में सुधार आया जो कि 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) के 125.9 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2020-21 (अप्रैल-दिसम्बर) में 57.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

कोविड-19 के कारण विश्व की अनिश्चित तथा दुलमुल अर्थव्यवस्था के बीच भारत का बाह्य क्षेत्र दृढ़ता की दृष्टि से एक प्रमुख सहायक के रूप में उभर कर सामने आया है। एच1 वित्तीय वर्ष 2020-21 में, मर्केन्डाइज इम्पोर्ट्स में और स्थिरात्मक निवल प्राप्तियों में

तेजी से संकुचन आने के कारण भारत का करेन्ट एकाउण्ट सरपलस (अतिरिक्त) 34.7 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) हो गया है। दूसरी ओर एफडीआई और एफपीआई आवक के मजबूत होने से बैलेन्स आन कैपिटल एकाउण्ट की स्थिति बेहतर हुई है। इन्हीं सब बातों के कारण विदेशी मुद्रा के भण्डार में सुधार आया है जो कि 25 दिसम्बर 2020 की स्थिति के अनुसार 580.8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है।

2020-21 के एच1 में निवल एफडीआई आवक 23.8 बिलियन अमरीकी डालर था जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 21.3 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक रहा है, जो कि इस बात की अभिपुष्टि करता है कि विश्व के निवेशकों के लिए भारत एक निवेश परक लक्ष्य है। मार्च 2020 में अप्रत्याशित स्थिति के होने के कारण विश्व के निवेशकों में मन्दी का भय पैदा हो गया जो कि महामारी के आ जाने के कारण था। लेकिन 2020-21 के एच1 में फारेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेण्ट की स्थिति में पुनः सुधार आया और यह 7.6 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया जो कि 2019-20 के एच1 में दर्ज स्तर से उपर ही था।

रुपये की औसत मासिक विनिमय दर (आरबीआई की सन्दर्भ दर) 2020-21 (अप्रैल-दिसम्बर) में 74.66 रुपये प्रति अमरीकी डालर रही है जबकि 2019-20 में 70.11 रुपये प्रति अमरीकी डालर रही थी। मार्च 2020 के अंत की स्थिति से तुलना करें तो देखेंगे कि बाहरी कर्ज 2.0 बिलियन अमरीकी डालर कम हो गया था जबकि सितम्बर, 2020 के अंत में यह 556.2 बिलियन अमरीकी डालर था। हालांकि जीडीपी में बाहरी कर्ज का अनुपात सितम्बर 2020 के अंत तक 21.6 प्रतिशत था जबकि मार्च 2020 के अंत में यह 20.6 प्रतिशत रहा था।

बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्र

18 दिसम्बर, 2020 को बैंक क्रेडिट की वृद्धि 6.1 प्रतिशत रही है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 7.1 प्रतिशत रही है। नान फूड क्रेडिट ग्रोथ (वाईओवाई) अक्टूबर, 2020 में 5.6 प्रतिशत थी जबकि यह अक्टूबर, 2019 में 8.3 प्रतिशत थी। सेवा क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में 2020-21 में क्रेडिट ग्रोथ साधारण रही है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ग्रास नान-पर्फार्मिंग एडवान्सेस (जीएनपीए) अनुपात (अर्थात जीएनपीए सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में), जो कि मार्च 2020 के अंत में 8.2 प्रतिशत था, कम होकर सितम्बर 2020 के अंत में 7.5 प्रतिशत हो गया था। इसी अवधि में इन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का रिस्ट्रक्चर्ड स्टैण्डर्ड एडवान्सेस (आरएसए) अनुपात 0.36 प्रतिशत से बढ़कर 0.41 प्रतिशत हो गया था। कुल मिलाकर इन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का स्ट्रेस्ड एडवान्सेस अनुपात जो मार्च 2020 के अंत में 8.6 प्रतिशत था, कम होकर सितम्बर, 2020 के अंत में 7.9 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 के अंत में 10.25 प्रतिशत से कम होकर सितम्बर 2020 के अंत में 9.4 प्रतिशत हो गया था और इनका स्ट्रेस्ड एडवान्स अनुपात मार्च 2020 के अंत के 10.75 प्रतिशत से कम होकर सितम्बर 2020 के अंत में 9.96 प्रतिशत हो गया था। हालांकि इसे कोविड-19 के कारण उधारकर्ताओं को दी गई परिसम्पत्ति वर्गीकरण राहत के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

एनबीएफसी की कुल परिसम्पत्ति मार्च 2018 के 23.41 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2019 में 29.23 लाख करोड़ रुपये हो गयी थी और यह फिर आगे बढ़ते हुए मार्च 2020 में 33.91 लाख करोड़ रुपये हो गयी थी जिससे 2019-20 के दौरान वार्षिक वृद्धि 16.01 प्रतिशत की हो गई थी जबकि 2018-19 में यह 24.86 प्रतिशत थी। एनबीएफसी फंडिंग के स्रोतों में खास बदलाव देखने को मिलता है। इन बैंकों का एनबीएफसी के साथ कुल एक्सपोजर मार्च 2019 के 7.01 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2020 में 8.04 लाख करोड़ रुपये हो गया था जो कि और आगे बढ़कर जून 2020 में 8.17 लाख करोड़ रुपये हो गया था।

कृषि

2019-20 में (चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार) देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 296.65 मिलियन टन होने का अनुमान था जो कि 2018-19 के 285.21 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था। 2019-20 में चावल का उत्पादन

अनुमानतः 118.4 मिलियन टन था जबकि 2018-19 में यह 116.5 मिलियन टन था। 2019-20 में गेहूं का उत्पादन 107.6 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि 2018-19 में यह 103.6 मिलियन टन था। सरकार ने सभी प्रकार के खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को बढ़ा दिया है। इस बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य से 2020-21 मौसम के अखिल भारतीय भारत औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना परिणाम प्राप्त होने की संभावना है।

देश में दूध का उत्पादन 146.3 मिलियन टन (2014-15) से बढ़कर 198.4 मिलियन टन (2019-20) हो गया है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 412 ग्राम प्रति दिन (2019-20) रही है। देश में अण्डे का उत्पादन भी 2018-19 के 103318 मिलियन से बढ़कर 2019-20 में 114419 मिलियन हो गया है। भारत में मछली का उत्पादन भी अब तक का सबसे अधिक है जो कि 2019-20 में 14.07 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। कुल मिलाकर भारत में मत्स्य क्षेत्र में 2014-15 से लेकर 2018-19 तक 10 प्रतिशत से अधिक की प्रभावशाली औसत वार्षिक वृद्धि दर बनी रही है। वर्ष 2019-20 में कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 13,50,000 करोड़ रुपये का रखा गया था जबकि उपलब्धि 13,92,469.81 करोड़ रुपये की रही है। 2020-21 में कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 15,00,000 करोड़ रुपये का रखा गया है और इस लक्ष्य की तुलना में 21 अक्टूबर 2020 तक 6,95,360.82 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण किया जा चुका है।

उद्योग

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का कारोबार, जिसमें खनन, विनिर्माण और विद्युत भी आते हैं की वृद्धि 2019-20 में (-) 0.8 प्रतिशत रही है जबकि 2018-19 में यह 3.8 प्रतिशत थी। क्षेत्रवार वर्गीकरण के अनुसार, 2019-20 में खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 1.6 प्रतिशत, (-) 1.4 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत रही है। उपयोगिता आधारित श्रेणियों में प्राथमिक वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं, अवसंरचनात्मक/निर्माणात्मक वस्तुओं, उपभोक्ता परक टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता परक गैर-टिकाऊ वस्तुओं की वर्ष 2019-20 में वृद्धि दर क्रमशः 0.7 प्रतिशत, (-) 13.9 प्रतिशत, 9.1 प्रतिशत, (-) 3.6 प्रतिशत, (-) 8.7 प्रतिशत और (-) 0.1 प्रतिशत रही है। अप्रैल-नवम्बर 2020-21 के दौरान आईआईपी की वृद्धि (-) 15.5 प्रतिशत रही है जो कि अप्रैल-नवम्बर 2019-20 के दौरान 0.3 प्रतिशत रही थी।

आठों आधारभूत अवसंरचना सहायक उद्योगों यथा कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली का कुल भार जो कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का लगभग 40 प्रतिशत होता है, 2019-20 में 0.4 प्रतिशत बढ़ गया था जबकि 2018-19 में इसमें 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। रिफाइनरी उत्पादों, उर्वकों, स्टील और विद्युत का उत्पादन 2019-20 में क्रमशः 0.2 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत, और 0.9 प्रतिशत बढ़ा था जबकि इसी अवधि में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और सीमेंट का उत्पादन क्रमशः 0.4 प्रतिशत, 5.9 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत 0.9 प्रतिशत कम हुआ था। अप्रैल-नवम्बर 2020-21 के दौरान आठ आधारभूत उद्योगों की संचित वृद्धि अप्रैल-नवंबर 2020-21 में (-) 11.4 प्रतिशत रही है जबकि अप्रैल-नवंबर 2019-20 में यह 0.3 प्रतिशत थी।

संभावनायें

सरकार ने जो प्रेरणात्मक उपाय किये हैं और सुधारात्मक पहल की है और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लिक्विडिटी सम्बन्धी जो प्रयास किये गये हैं उनसे औद्योगिक क्रियाकलापों और उसकी मांग को सहायता मिलने की संभावना बनी है। हाल के महीनों में विभिन्न उच्च तीव्रता वाले सूचकांकों की हलचल से यह संकेत मिल रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों का व्यापक रूप से पुनरुद्धार हो सकेगा। देश में कोविड-19 का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाने से भी आर्थिक क्रियाकलापों की बहाली में और भी तेजी आयेगी। बहुपक्षीय संस्थाओं के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करने का जिस प्रकार का अनुमान है उससे यही उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था में 14.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हासिल की जा सकेगी।

वृहत आर्थिक रुपरेखा विवरण
(आर्थिक निष्पादन का सार)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य		प्रतिशत परिवर्तन	
		अप्रैल-दिसंबर		अप्रैल-दिसंबर	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
संपदा क्षेत्र					
1	बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ हजार करोड़)@				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	20340	19482	7.2	-4.2
	(ख) वर्ष 2011-2012 के मूल्यों पर	14566	13440	4.2	-7.7
2	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2011-12=100)@@	128.1	108.3	0.3	-15.5
3	थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)^	121.7	121.6	1.5	-0.1
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: संयुक्त (2012=100)^	145.3	154.9	4.1	6.6
5	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)\$	16061.6	18059.1	10.4	12.4
6	वर्तमान मूल्यों पर आयात*				
	(क) ₹ करोड़	2562540	1922790	-6.4	-25.0
	(ख) बिलियन अमरीकी डालर	364184	258272	-7.2	-29.1
7	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात*				
	(क) ₹ करोड़	1677371	1495706	-1.5	-10.8
	(ख) बिलियन अमरीकी डालर	238274	200802	-2.4	-15.7
8	व्यापार घाटा (बिलियन अमरीकी डालर)*	-125910	-57470	-15.1	-54.4
9	विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च के अंत तक)				
	(क) ₹ करोड़	3264729	4272332	18.62	30.86
	(ख) बिलियन अमरीकी डालर	457468	580841	16.28	26.97
10	चालू खाता शेष (बिलियन अमरीकी डालर)#	-22.5	34.8		
सरकार के वित्त साधन (₹ करोड़)##					
		अप्रैल से नवम्बर			
1.	राजस्व प्राप्तियां	983214	812710	13.0	-17.3
	सकल कर राजस्व	1174143	1026055	0.8	-12.6
	कर (केन्द्र को निवल)	750614	688430	2.6	-8.3
	कर-भिन्न राजस्व	232600	124280	67.8	-46.6
2.	पूंजी प्राप्तियां, जिसमें	836843	1093648	12.6	30.7
	ऋणों की वसूली	10910	11962	4.2	9.6
	अन्य प्राप्तियां	18099	6179	14.5	-65.9
	उधार और अन्य देनदारियां	807834	1075507	12.7	33.1
3.	कुल प्राप्तियां (1+2)	1820057	1906358	12.8	4.7
4.	कुल व्यय	1820057	1906358	12.8	4.7
	(क) राजस्व व्यय	1606215	1665200	13.0	3.7
	(ख) पूंजी व्यय	213842	241158	11.7	12.8
5.	राजस्व घाटा	623001	852490	13.0	36.8
7.	राजकोषीय घाटा	807834	1075507	12.7	33.1
8.	प्राथमिक घाटा	466022	692082	26.5	48.5
@	सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के हैं और वर्ष 2019-20 के आंकड़े अनंतिम अनुमान हैं और वर्ष 2020-21 के आंकड़े प्रथम अग्रिम अनुमान हैं।				
@@	अप्रैल से नवम्बर तक				
^	2020-21 के लिए अनंतिम और अप्रैल-मई 2020 के महीनों के लिए सीपीआई-सी आरोपित हैं, जो कोविड-19 महामारी के कारण सीमित प्रेक्षणों पर आधारित हैं।				
*	सीमाशुल्क आधार पर				
\$	18 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार				
#	अप्रैल - सितंबर				
##	महालेखा नियंत्रक और वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल से नवंबर, 2020 के लिए जारी किए गए मासिक लेखाओं के आंकड़ों पर आधारित।				